# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा
# जिला डूंगरपुर

श्री सोमा उर्फ श्यामा **बनाम** श्री राकेश पिता लक्ष्मण डामोर

पत्रावली संख्या– 07/ 2024

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 13.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जावे कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी मौजा निठाउवा तहसील सीमलवाड़ा के खाता संख्या 307/280 खसरा नं. 961/442 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 291/265 के खसरा संख्या 862/436 रकबा 0.4452 हैक्टेयर होकर स्थित है, जिसपर प्रार्थी एवं उसका परिवार के सदस्य काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं। विपक्षीगण रामसौर जूना के रहने वाले है तथा प्रार्थी की आराजी भूमि में अतिक्रमण करने हेतु आये दिन झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। ऐसे में ता फैसला रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। अप्रार्थीगण को पूर्व में भी सीमांकन की कार्यवाही के दौरान मौके पर विवाद नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलित की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।<br><br>अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि प्रार्थी की मौजा निठाउवा तहसील सीमलवाड़ा के खाता संख्या 307/280 खसरा नं. 961/442 रकबा 0. 1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 291/265 के खसरा संख्या 862/436 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के फैसले तक किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करवायें। ऐसे में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।<br><br>पत्रावली में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सीमलवाड़ा | |